कार्यालय सामान्य वन मंडल,कटनी

फोन नं. 07622-220417 (कार्या.), 223130 (निवास), 220050 (फैक्स)।
Email-dfokatni@mp.gov.in

क्रमांक/मानचित्रकार/ 5381

कटनी, दिनांक/ 22-7-2017

प्रति,

कलेक्टर,
(खनिज–शाखा)
जिला कटनी

विषय : ग्राम नयाखेड़ा तहसील रीठी के रकबा 1.00 हेक्टर पर प्राप्त नवकरण उत्खनि पट्टा आवेदन क्रमांक 02/उ.प./नवकरण/2017 के आवेदन पत्र हेतु, आवेदिका श्रीमती स्नेहलता जैन धर्मपत्नी श्री सुधीर कुमार जैन निवासी ग्राम बड़गाँव तहसील रीठी जिला कटनी म.प्र.।

संदर्भ : आपका पत्र क्रमांक/2017/खनि/02/उ.प./नवकरण/2017 दिनांक 18.05.2017 प्राप्त दिनांक 03/06/2017.

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके संदर्भित पत्र के तारतम्य में आवेदिका श्रीमती स्नेहलता जैन धर्मपत्नी श्री सुधीर कुमार जैन निवासी ग्राम बड़गाँव तहसील रीठी जिला कटनी के आवेदित क्षेत्र ग्राम नयाखेड़ा, खसरा नंबर 606 रकबा 1.00 हैक्टर पर खनिज फर्शी पत्थर के नवकरण उत्खनिपट्टा के संबंध में स्थलजाँच प्रतिवेदन उप वनमंडलाधिकारी, कटनी पश्चिम से प्राप्त होने पर निम्न तथ्य पाये गये।

1. आवेदित क्षेत्र ग्राम नयाखेड़ा, खसरा नंबर 606 रकबा 1.00 हेक्टर वनभूमि नही है।
2. उक्त आवेदित क्षेत्र से दक्षिण दिशा में वनकक्ष क्रमांक आर.एफ. 135 की दूरी 10.90 किलो मीटर है। अतः वनसीमा से 250 मीटर की परिधि से अधिक दूरी पर स्थित है।
3. आवेदित क्षेत्र से 10 कि.मी. की परिधि में कोई नेशनल पार्क स्थित नही है।
4. आवेदित क्षेत्र से 10 कि.मी. की परिधि में कोई अभ्यारण स्थित नही है।
5. आवेदित क्षेत्र से 10 कि.मी. की परिधि में कोई घोषित जैव विविधता क्षेत्र स्थित नही है।
6. आवेदित क्षेत्र से ईको सेंसेटिव जोन की दूरी लगभग 18 कि.मी. से अधिक है।
7. म.प्र. शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक एफ/25/61/05/10-3 भोपाल, दिनांक 07.09.2006 के बिन्दु क्रमांक 1 में लेखित है कि उत्खनिपट्टा स्वीकृत करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेवें कि आवेदित भूमि के मूल अभिलेख में छोटे/बड़े झाड़ के जंगल के रूप में अभिलेखित नही होना चाहिये।
8. तथा यदि आवेदित राजस्व भूमि म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक 16–10–सात–2ए–90 दिनांक 13.01.97, तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के तहत वन की परिभाषा में नही आता है, तो इस कार्यालय को उक्त आवेदित क्षेत्र ग्राम नयाखेड़ा, खसरा नंबर 606 रकबा 1.00 हेक्टर पर खनिज फर्शी पत्थर के नवकरण उत्खनिपट्टा हेतु स्वीकृती दिये जाने बावत् कोई आपत्ति नही है।

(के.के.भारद्वाज)
वन संरक्षक
सामान्य वनमंडल कटनी

पृष्ठांकन क्रमांक/मानचित्रकार/ 5382

कटनी दिनांक/ 22-7-2017

प्रतिलिपि :
1. मुख्य वन संरक्षक, मध्य वृत्त जबलपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. उप वनमण्डल अधिकारी, कटनी (पश्चिम) की ओर उनके द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन पत्र क्रमांक/1046 दिनांक 06.07.17 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

सत्यापित

उप वन मंडलाधिकारी
कटनी (पूर्व)

(के.के.भारद्वाज)
वन संरक्षक
सामान्य वनमंडल कटनी

D:\Office Data (D.M. Section)\2017\F_NOC\F_NOC.doc 31

कार्यालय कलेक्टर (खनिज–शाखा) कटनी, मध्यप्रदेश

दूरभाष–07622–222644, फैक्स–07622–222644

E-mail ID :- modgmkat@mp.gov.in

क्रमांक 4912 /खनिज/ 2018 कटनी, दिनांक /2/ 12 /2018

प्रति,

श्रीमती स्नेहलता जैन
पत्नी श्री सुधीर कुमार जैन
निवासी बड़ागांव, तहसील रीठी
जिला कटनी (म0प्र0)

विषय– स्वीकृत खनि रियायत से 500 मीटर के परिधि के अन्दर आने वाली खनि रियायतो का प्रमाण पत्र प्रदाय किये जाने बावत्।

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके पक्ष में जिला कटनी, तहसील रीठी के ग्राम बड़ागांव स्थित भूमि खसरा नम्बर 606 रकवा 1.00 हे0 क्षेत्र पर खनिज फर्शी पत्थर का उत्खनिपट्टा 29.4.2018 से 28.4.2028 (10 वर्ष) तक की कालावधि हेतु नवकरण होकर स्वीकृत है। स्वीकृत क्षेत्र के 500 मीटर के परिधि में आवेदक के अतिरिक्त कोई अन्य खनि रियायत स्वीकृत नही है।

उपसंचालक
(खनिज प्रशासन)
वास्ते कलेक्टर, कटनी

28

कार्यालय तहसीलदार तहसील रीठी जिला– कटनी (म0प्र0)

क्रमांक/1057/प्रवा0/2017

रीठी दिनांकः–01/07/2017

प्रति,

कलेक्टर महोदय
(खनिज शाखा)
कटनी

विषयः– ग्राम नयाखेड़ा तहसील रीठी जिला कटनी की भूमि ख0नं0 606 रकवा 1.00 हे0 क्षेत्र की भूमि पर खनिज फर्शी पत्थर के उत्खनि पट्टा क्षैत्र की स्थल जॉच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने बावत्।

संदर्भः– क्रमांक 2019/खनि0/पु0अ0/उ0प0/2017 कटनी दिनांक 18.05.17

उपरोक्त पत्र के परिपालन में लेख है कि आपके द्वारा आवेदक श्रीमति स्नेहलता जैन पति सुधीर जैन ग्राम बड़गावं द्वारा ग्राम नयाखेड़ा तहसील रीठी जिला कटनी की भूमि ख0 नं0 606 रकवा 1.00 हे0 भूमि के संबंध में बिंदूवार जानकारी चाही गई है जो निम्नानुसार है।

स0क	निर्धारित बिन्दु	हॉ/नही
1	क्या 500 मी0 की दूरी के अंदर कोई मानव बसाहट स्थित है।	नही
2	क्या 500 मी0 की दूरी के अंदर कोई जलीय निकाय स्थित है।	नही
3	क्या 500 मी0 की दूरी के अंदर कोई नदी स्थित है।	नही
4	क्या 500 मी0 की दूरी के अंदर कोई शैक्षणिक स्थित है।	नही
5	क्या 500 मी0 की दूरी के अंदर कोई चिकित्सालय स्थित है।	नही
6	क्या 10 कि0 मी0 की परिधि में कोई अन्तर्राज्य सीमा स्थित है।	नही
7	क्या 500 मी0 की दूरी के अंदर कोई राष्ट्रीय धरोहर/पुरातत्वीय महत्व के स्थल स्थित है।	नही

संलग्नः–पटवारीप्रतिवेदन,पंचनामा,नक्शाट्रैश।

तहसीलदार
रीठी 1/7/17
तहसीलदार
रीठी

O/C

संचालनालय
भौमिकी तथा खनिकर्म,
मध्यप्रदेश
29-ए, "खनिज भवन", अरेरा हिल्स, भोपाल
फोन एवं फैक्स- 0755-2551796
E-mail : dirgeomn@mp.nic.in

5782

क्रमांक खनिज/न.क्र 3/उ0प0/2018 भोपाल, दिनांक 2/4/18

प्रति,

श्रीमती स्नेहलता जैन,
पत्नी श्री सुधीर कुमार जैन,
निवासी- बढ़ागांव, तह रीठी
जिला- कटनी (म0प्र0)

विषय:- जिला कटनी के ग्राम नयाखेड़ा तहसील रीठी की निजी भूमि खसरा क्रमांक 606 के भाग रकबा 1.000 पर निजी भूमि पर फर्शी पत्थर का उत्खनिपट्टा नवकरण स्वीकृति बावत।

आपके पक्ष में कलेक्टर कटनी व्दारा जिला कटनी के ग्राम नयाखेड़ा तहसील रीठी की निजी भूमि खसरा क्रमांक 606 के भाग रकबा 1.000 पर निजी भूमि पर फर्शी पत्थर का उत्खनिपट्टा 10 वर्ष के लिये स्वीकृत किया जाकर दिनांक 29-4-08 से 28-4-2018 तक के लिये अनुबंधित था। आपके व्दारा उक्त क्षेत्र पर उत्खनिपट्टा नवकरण हेतु दिनांक 17-1-17 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया।

कलेक्टर कार्यालय व्दारा आवेदित क्षेत्र के संबंध में आवश्यक जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया जाकर आवेदित क्षेत्र का रकबा 1.000 हेक्टेयर नवकरण पर उपलब्ध पाया गया जिसके संबंध में प्रस्ताव पत्र क्रमांक 944 दिनांक 5-3-18 व्दारा इस कार्यालय में प्रेषित किया गया।

प्रकरण में आवश्यक परीक्षण उपरान्त कलेक्टर के प्रस्ताव अनुसार जिला कटनी के ग्राम नयाखेड़ा तहसील रीठी की निजी भूमि खसरा क्रमांक 606 के भाग रकबा 1.000 (मानचित्र में दर्शित अनुसार) पर फर्शी पत्थर का उत्खनिपट्टा नवकरण पर दिनांक 29-4-18 से 10 वर्ष के लिये स्वीकृत करने का निर्णय लिया जाकर सैध्दांतिक सहमति प्रदान की जाती है। आप इस सैध्दांतिक सहमति पत्र जारी होने के दिनांक से 6 माह के अंदर अनुमोदित खनन योजना इस कार्यालय में उपलब्ध करावें। अनुमोदित खनन योजना उपलब्ध कराने के पश्चात उत्खनिपट्टा स्वीकृत हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

संचालक

क्रमांक खनिज/न.क्र 3/उ0प0/2018 भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि- कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संचालक

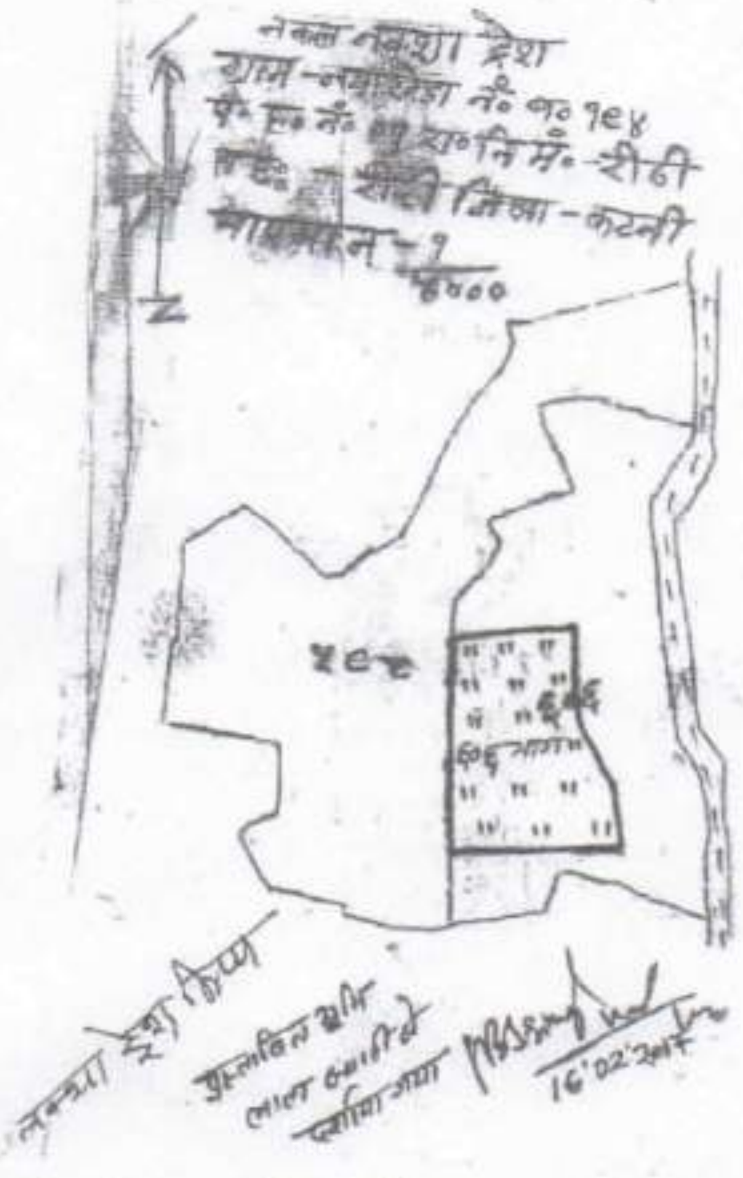

प्र०क्र०/02/अ-67/2017

श्रीमती ... निवासी ..., तहसील - रीठी - जिला - कटनी

उत्खनन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र		प्रतिबंधित क्षेत्र	निष्कासन योग्य उपलब्ध क्षेत्र
खसरा नं०	रकबा		
606 भाग	1.00 हे०	निरंक	1.00 हे०

संकेत

भूमि का ब्यौरा हेक्टेयर में एवं करों का ब्यौरा रूपये पैसों में
फसल की जानकारी पिछले वर्ष की है
खाना 5 से 11 में खरीफ की जानकारी वर्ष 2018 की है
खाना 5 से 11 में रबी की जानकारी वर्ष 2019 की है

फार्म पी -II

खसरा

नक्शा | किश्तबन्दी फार्म बी-1

NIC-CLRMP

ग्राम	नयाखेडा (प.ह.नं.-1 /1 न.बं.क्र.-194)	हल्का	नयाखेडा (प.ह.नं.-1 /1)	रा.नि.म.	रीठी	तहसील	रीठी	जिला	कटनी	वर्ष	2018-2019

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खातो मे सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई हो और देय राजस्व का लगान	किसी भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी मौरूसी काश्तकार के उप पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम ओर उप-पट्टे पर दिए गये भाग का क्षेत्रफल	खाते की भूमि						खाते के बाहर के क्षेत्रो मे बोई गई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल	कैफियत
				क्षेत्रफल जिसमे वर्ष के दौरान में फसल उगाई गई			पड़ती का क्षेत्रफल				
				फसल का नाम	क्षेत्रफल	दुफसली क्षेत्रफल	चालू वर्ष की पड़ती	2 से 5 वर्ष तक की पड़ती	अन्य पड़ती अर्थात् 5 वर्ष से अधिक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
606/3	1.050	स्नेहलता पति सुधीरकुमार जैन पता निवासी बडगाव भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.00									ना. क्र. 26 तह. महो. रीठी के आ. दि. 01/08/2007 के अनुसार क्रय होने से ।

1. यह प्रपत्र केवल प्राथी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. प्रवष्टियों में संशोधन /सत्यापित प्रतिलिपि हेतु संबंधित जिला /तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

Printed on : 13/3/2019
10.139.210.5

5-अ

कार्यवाही फार्म

पंचायत/ग्राम सभा नयाखेड़ा तहसील रीठी जिला कटनी सन् 2017-18

उपस्थित पंचो के नाम	विषय	बैठक की कार्यवाही कार्यवाही संक्षिप्त	प्रस्ताव जो पास हुआ	पंचो/सदस्यों के दस्तखत या अंगूठे का निशान
ग्रामसभा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों के द्वारा	प्रस्ताव क्र. 1 श्रीमती स्नेहलता [illegible] खसरा 606 में चीप पत्थर उत्खनन कार्य में आपत्ति न होने के संबंध में	आज दिनांक 02/10/2018 ग्रामसभा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों के द्वारा सर्वसम्मति द्वारा निर्णय लिया गया है कि श्रीमती स्नेहलता [illegible] ग्राम बड़गाँव तह. रीठी जिला कटनी (म.प्र.) की स्थाई निवासी है अतः खसरा नं. 606 रकबा 1 हे. में चीप पत्थर उत्खनन खदान वर्तमान में स्वीकृत है जिसमें खसरा न. 606 ग्राम पंचायत नयाखेड़ा को उक्त उत्खनन कार्य करने में कोई आपत्ति नहीं है अतः सर्वसम्मति द्वारा प्रस्ताव पारित किया	सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है। छोटीबाई	सही सही

विक्रेता - शिवम् फोटोकापी सेंटर, रीठी मो. 96697